न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 161/2018
आर.सी.एम.एस. :: 2018/00194

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रानी		मूलाराम पुत्र खुमाराम जाति लौहार, निवासी नवागुडा, तहसील रानी जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–:: आदेश ::–

दिनांक : 24/05/2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रानी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थी मूलाराम के नाम ग्राम नवागुडा, पटवार हल्का बालराई तहसील रानी के खसरा नम्बर 25 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 25/1 रकबा 7.00 बीघा किस्म बा.दो. के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस त लब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम नवागुडा, पटवार हल्का बालराई तहसील रानी जिला पाली के ख.न. 25/1 रकबा 7.00 बीघा किस्म बा.दो. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा आदेश दिनांक 4024 दिनांक 13.06.1971 के द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.दो. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 24.05.1973 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम नवागुडा, पटवार हल्का बालराई तहसील रानी की जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के अनुसार ख.न. 25/1 रकबा 7.00 बीघा किस्म बा.दो. मूलाराम पुत्र खूमाराम जाति लोहार सा0 देह खातेदार दर्ज है। ग्राम नवागुडा की जमाबन्दी सम्वत् 2019 के अनुसार खसरा नम्बर 25/1 की किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। उपखण्ड अधिकारी पाली ने आदेश कमांक 4024 दिनांक 13.06.1971 के द्वारा भूमि कि किस्म परिवर्तन करते हुए उक्त भूमि में से 7 बीघा भूमि अप्रार्थी मूलाराम पुत्र खुमाराम निवासी नवागुडा को

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आवंटित की। उकत आदेश की पालना में नायब तहसीलदार पाली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 24.05.1973 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा मूलाराम पुत्र खुमाराम को गैर खातेदार दर्ज किया गया था तथा कालान्तर में उसे खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारिज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से उपखण्ड अधिकारी के आवंटन आदेश एवं उक्त आदेश की पालना में नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 24.05.1973 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी मुलाराम पुत्र खुमाराम लौहार निवासी नवागुडा तहसील रानी जिला पाली (राज.) के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा आदेश क्रमांक 4024 दिनांक 13.06.1971 एवं उसकी पालना में नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 99 दिनांक 24.05.1973 को निरस्त फरमाया जावे।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली